5659-5734 कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। उन्नतरी

संख्याः /दो–805ए(विविध)/वि0अ0अनु0/2018–19/प्रयागराज/दिनांकःसितम्बर 07 2019

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषयः– एम0 एण्ड टी0पी0 ऐक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस नियमावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0–41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 97/2018/3429 ई–2/तेरह–2018–106/2014 टीसी, लखनऊ, दिनांक 05.11.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त एम0 एण्ड टी0पी0 ऐक्ट, 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को एल0–1 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस नियमावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0–41 अनुज्ञापन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है:–

1– परफ्यूम निर्माण हेतु अल्कोहल को कब्जे में रखने के लिए एफ0एल0–41 स्वीकृत किए जाने में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस हेतु प्रदत्त अनुमति का दुरूपयोग न हो।

2– एफ0एल0–41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने हेतु इससे सम्बन्धित पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किए जाएं।

3– परफ्यूम निर्माण हेतु एफ0एल0–41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे राजस्वहित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार दी जा रही अनुमति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी विधि व्यवस्था के प्रतिकूल न हो।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में परफ्यूम निर्माण करने वाली इकाइयों को विकृत अल्कोहल प्राप्त किये जाने हेतु एफ0एल0–41 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के लिये इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत चेक लिस्ट दिनांक 05.02.1992 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार समस्त बिन्दुओं पर आख्या निवेश मित्र के पोर्टल पर इकाई का आवेदन पत्र, आई.ए.–2 प्रपत्र, कम्पनी का विधिक स्वरूप (कम्पनी/पार्टनरशिप/सोसायटी) का पंजीकरण प्राधिकृत स्तर से हस्ताक्षरित मानचित्र, निर्माण किये जाने वाले उत्पाद के घटकों की सूची सहित, प्रदूषण एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, निर्माण प्रकिया का फ्लो चार्ट तथा स्थापित की गयी प्लान्ट/मशीनरी का विवरण, संचय टैंकों का गेज चार्ट, उद्योग विभाग का पंजीकरण एवं सौन्दर्य प्रसाधन(परफ्यूम) निर्माण हेतु वैध औषधि अनुज्ञापन एवं निर्माण किये जाने वाले सौन्दर्य प्रसाधन की औषधि नियंत्रक से अनुमोदित सूची घटको को निवेश मित्र के पोर्टल पर अपलोड कराते हुये अपनी रिपोर्ट निवेश मित्र के पोर्टल पर दर्ज/अपलोड करते हुये उपलब्ध कराये, जिससे इस तरह की इकाईयों को एफ0एल0–41 अनुज्ञापन स्वीकृत किया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

5735-5773

संख्या /दो–805ए(विविध)/वि0अ0अनु0/2018–19/प्रयागराज/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन लखनऊ।
2– अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन)/(ला0/औ0वि0) उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन्स उत्तर प्रदेश।
4– समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।
6– गार्डफाइल।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,उ0प्र0।

संख्या- 97/2018/3429 ई-2/तेरह-2018-106/2014टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

लखनऊ::दिनांक 05 नवम्बर, 2018

आबकारी अनुभाग-2

विषयः-एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस नियमावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी-76/दो-805ए(विविध)/वि0म0एफ0एल0-41, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर बनाई जा रही नियमावली केवल अविकृत (रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं ई0एन0ए0) अल्कोहल एवं भांग के लिए बनाई जा रही है, जबकि एफ0एल0-41 अनुज्ञापन केवल विकृत अल्कोहल का उपयोग करने वाली सौन्दर्य प्रसाधन/परफ्यूम निर्माण करने वाली इकाईयों के लिए प्रदान किया जाना है। नियमावली बनने के बाद भी सौन्दर्य प्रसाधन/परफ्यूम निर्माण करने हेतु विकृत अल्कोहल प्राप्त करने वाली इकाईयों को उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस निमयावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 अनुज्ञापन की व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी। तदनुसार आपके उक्त पत्र में शासनादेश संख्या-86/2018/2621ई-2/तेरह-2018-106/2014टीसी, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 की शर्त संख्या-5 को विलोपित किए जाने की संस्तुति की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-86/2018/2621 ई-2/तेरह-2018-106/2014टीसी, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को निरस्त करते हुए एम0 एण्ड टी0पी0 एक्ट,1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली,1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् विकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को एल0-1 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत विकृत अल्कोहल के संचय हेतु उत्तर प्रदेश विकृत तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लाइसेंस नियमावली,1976 के अन्तर्गत एफ0एल0-41 अनुज्ञापन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) परफ्यूम निर्माण हेतु अल्कोहल को कब्जे में रखने के लिए एफ0एल0-41 स्वीकृत किए जाने में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस हेतु प्रदत्त अनुमति का दुरूपयोग न हो।

(2) एफ0एल0-41 अनुज्ञाप्रन प्रदान किए जाने हेतु इससे सम्बन्धित पूर्व निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किए जाएं।

(3) परफ्यूम निर्माण हेतु एफ0एल0-41 अनुज्ञापन प्रदान किए जाने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे राजस्वहित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस प्रकार दी जा रही अनुमति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी विधि व्यवस्था के प्रतिकूल न हो।

कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

OFFICE OF EXCISE COMMISSIONER, U.P. ALLAHABAD

NOTIFICATION

No. 3285 / [illegible]-805 [illegible]

July 22, 2003

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act, 1910 (Act No IV of 1910) and with previous sanction of the State Government, the Excise Commissioner makes the following rules with a view to amending to the U.P. Licences for the possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976.

U.P. LICENCES FOR THE POSSESSION OF DENATURED SPIRIT AND SPECIALLY DENATURED SPIRIT (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2003

Short title and commencement.

(1) These rules may be called U.P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit (Fifth Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force with immediate effect.

Amendment of rule 3.

In the Uttar Pradesh Licences for the possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976, for rule 3 set out in Column I below the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:

Column I Existing rule	Column II Rule as hereby substituted
3(a)- The fee for a licence in Form F.L. 39 shall be at the rate of Fifteen paise per litre, payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee	3(a)- The fee for a licence in Form F.L. 39 shall be at the rate of Fifteen paise per litre, payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall

shall be realised by the Excise Inspector Incharge distillery from the licensee before making issues of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head-"039-State Excise-E-Commercial and Denatured spirit medicated wines-B-license fees commercial spirits" (b) The fee for a licence in form F.L. 40 and 41 shall be at the rate of 15 percent ad valorem on the sale made by a distillery/whole sale vendor to F.L. 40 and 41 licensees payable in advance before the issue of licence.	be realised by the Excise Inspector Incharge distillery from the licensee before making issues of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head-"0039-State Excise-E-Commercial and Denatured spirit medicated wines-B-license fees commercial spirits". (b) The fee for a licence in form F.L. 40 and 41 shall be at the rate of 15 percent ad valorem on the sale made by distillery/whole sale vendor to F.L. 40 and 41 licensees payable in advance before the issue of Specially Denatured Spirit. Provided that in the case of petroleum depots holding F.L. 41 licence the licence fee shall be at the rate of 15 paise per bulk litre payable in advance before the issue of Denatured Power Alcohol.

(Ganga Deen Yadav)
Excise Commissioner
[illegible]

(845)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

अधिसूचना

संख्या 3285/ [illegible]

दिनांक 22 जुलाई, २००३ ई०

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १६१० (अधिनियम संख्या–४ सन् १६१०) की धारा–४१ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, १६७६ का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस (पांचवां संशोधन) नियमावली, २००३

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस (पांचवां संशोधन) नियमावली, २००३ कही जाएगी।

(२) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

२. नियम ३ का संशोधन– उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली, १६७६ में नीचे स्तम्भ–१ में उल्लिखित नियम–३ के स्थान पर स्तम्भ–२ में यथा उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा–

स्तम्भ–१ वर्तमान नियम	स्तम्भ–२ एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
३(क) प्रपत्र वि०म०–३६ में लाइसेंस के लिये फीस, उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टितया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर पन्द्रह पैसा प्रति लीटर की दर से देय होगी। यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व लाइसेंस–धारी से [illegible] एक्साइज–ई– कामर्शियल एण्ड डिनेचर्ड स्प्रिट मेडिकेटेड वाइन–बी–लाइसेंसफीस कामर्शियल स्प्रिट" के अधीन कोषागार में जमा की [illegible]।	३(क) प्रपत्र वि०म०–३६ में लाइसेंस के लिये फीस, उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टितया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर पन्द्रह पैसा प्रति लीटर की दर से देय होगी। यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने [illegible] और शीर्षक "००३६–स्टेट एक्साइज–ई– कामर्शियल एण्ड डिनेचर्ड स्प्रिट मेडिकेटेड वाइन–बी–लाइसेंसफीस कामर्शियल स्प्रिट" के अधीन कोषागार में जमा की जायेगी।

) वि०म०–४० और वि०म०–४१ में लाइसेंस के लिये फीस वि०म०–४० और वि०म०–४१ के लाइसेंसधारियों को आसवनी/थोक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री पर यथा मूल्य १५ प्रतिशत की दर से लाइसेंस के जारी किये जाने के पूर्व अग्रिम रूप से देय होगी।

(ख) वि०म०–४० और वि०म०–४१ में लाइसेंस के लिये फीस वि०म० ४० और वि०म०–४१ के लाइसेंसधारियों को आसवनी/थोक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री पर यथा मूल्य १५ प्रतिशत की दर से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट की निकासी के पूर्व अग्रिम रूप से देय होगी।

परन्तु वि०म० ४१ अनुज्ञापनधारी पैट्रोलियम डिपोज को डिनेचर्ड पावर अल्कोहल की निकासी के पूर्व १५ पैसे प्रति बल्क लीटर की दर से अनुज्ञापन शुल्क अग्रिम रूप से देय होगा।

(गंगादीन यादव)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पंजीकृत संख्या-130 (क-1)

रजिस्टर्ड नं० ए०-डी०-4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

इलाहाबाद, मंगलवार, 25 मई, 1999 ई०

(ज्येष्ठ 4, 1921 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

अधिसूचना

संख्या 1327/

दिनांक 25 मई, 1999 ई०

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1999

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2—नियम 3 का संशोधन—उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 में नीचे स्तम्भ-1 में उल्लिखित नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा—

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3—(क) प्रपत्र वि0 म0-39 में लाइसेन्स के लिए फीस उत्तर प्रदेश की किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर पन्द्रह पैसा प्रति लीटर की दर से देय होगी, यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व लाइसेन्सधारी से वसूली की जायेगी और शीर्षक "039 स्टेट आबकारी वाणिज्य तथा विकृत की हुई स्प्रिट तथा औषधीय शराबें वाणिज्य प्रासवों (स्प्रिट्स) के लिए अनुज्ञापित फीस" के अधीन कोषागार में जमा की जायेगी।	3—(क) प्रपत्र वि0 म0-39 में लाइसेन्स के लिए फीस, उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर पन्द्रह पैसा प्रति लीटर की दर से देय होगी। यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक आसवनी द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व लाइसेन्सधारी से वसूल की जायेगी और शीर्षक "039-स्टेट एक्साइज-ई-कामर्शियल एण्ड डिनेचर्ड स्प्रिट मेडिकेटेड वाइन-बी-लाइसेन्स फीस कामर्शियल स्प्रिट" के अधीन कोषागार में जमा की जायेगी।
(ख) प्रपत्र वि0 म0 40 और वि0 म0 41 में लाइसेन्स के लिए फीस किसी आसवनी थोक विक्रेता द्वारा वि0 म0 40 और 41 के लाइसेन्सधारी को की गई बिक्री पर यथा मूल्य 40 प्रतिशत की दर पर लाइसेन्स जारी किये जाने के पूर्व अग्रिम रूप में देय होगी।	(ख) वि0 म0 40 और वि0 म0 41 में लाइसेन्स के लिए फीस वि0 म0 40 और वि0 म0 41 के लाइसेन्सधारियों को आसवनी/थोक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री पर यथा मूल्य 15 प्रतिशत की दर से लाइसेन्स के जारी किये जाने के पूर्व अग्रिम रूप में देय होगी।

पी0 एल0 कौर,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, ALLAHABAD

May 25, 1999

No. 1327—In exercise of the powers under section 41 of the U. P. Excise Act, 1910 (Act no. IV of 1910), and with the previous sanction of the State Government, the Excise Commissioner makes the following rules with a view to amending the U. P. Licences for the possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976:

U. P. LICENCES FOR THE POSSESSION OF DENATURED SPIRIT AND SPECIALLY DENATURED SPIRIT (FOURTH AMENDMENT) RULES, 1999.

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the U. P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit (Fourth Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of Rule 3.**—In the U. P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976, for rule 3 set out in Column I, the rule as set out in Column II shall be *substituted*, namely :

COLUMN I

(Existing rule)

Rule 3 (*a*).—The fee for a licence in Form F. L. 39 shall be at the rate of Fifteen paise per litre, payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge distillery from the licensee before making issues of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head "039- State Exbise-E-Comme-rcial and Denatured spirit medicated wines -B- licence fees commercial spirits":

(*b*) The fee for a licence in Form F. L. 40 and F. L. 41 shall be at the rate of 40 percent ad valorem on the sale made by a distillery wholesale vendor to F. ;L. 40 and F. L. 41 Licensees payable in advance before the issue of licence

COLUMN II

(Rule as hereby substituted)

Rule 3 (*a*)—The fee for a licence in Form F. L. 39 shall be at the rate of Fifteen paise per litre, payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge distillery from the licensee before making issues of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head-"039— State Exbise-E- Commierical and Denatured spirit medicated wines-B-lidence fees commercial spirits".

(*b*) The fee for a licence in Form F. L. 40 and 41 shall be at the rate of 15 percent ad valorem on the sale made by a distillery/ wholesale vendor to F. L. 40 and 41 licensees payable in advance before the issue of licence.

P. L. LOI,
Excise Commissioner
Uttar Pradesh.

पी०एस०यू०पी०—9 असाधारण गजट—3-6-99—1097 (मोनो)।
मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(11)

संख्या: 4683-4841 /डी विग-प्राविधिक-1/नीति

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त उपायुक्त/सहायक आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक: इलाहाबाद:फरवरी: 5 :1992

विषय:- एफ.एल.-39,40,41 अनुज्ञापनों के प्रदान करने, वर्तमान अनुज्ञापनों के नवीकरण करने, उनका कोटा बढ़ाने तथा व्यपगत कोटा प्रदान करने आदि की संस्तुति भेजने के सम्बन्ध में ।

---:0:---

महोदय,

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि जिला स्तर से औद्योगिक इकाईयों के अनुज्ञापनों के सृजन, वर्तमान अनुज्ञापन के नवीनीकरण, उनके अल्कोहल के कोटा बढ़ाये जाने तथा उनको व्यपगत कोटा प्रदान करने के सम्बन्ध में संस्तुति पूरे औचित्य के साथ इस कार्यालय को नहीं भेजी जा रही है, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है । अतः निर्देश दिये जाते है कि उक्त मामलों की संस्तुति करते समय संलग्न प्रपत्र में निर्धारित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराते तथा गुण-दोष के आधार पर विवेचना करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रस्तुत करें

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(पुलक चटर्जी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

विलान/

एफ. एल. -39:40:41 :अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

1- इकाई का नाम---

2- पूर्ण पता---

3- अनुज्ञापन का प्रकार जिसे दिये जाने की संस्तुति की जा रही है ।

4- उद्योग विभाग के अधीन पंजीकरण की संख्या एवं दिनांक(प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न की जाय)

5- उद्योग विभाग द्वारा आवंटन के संबंध में की गयी संस्तुति(संलग्न की जाय)

6- इकाई का बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन की संख्या व दिनांक(प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की जाय)

7- इकाई द्वारा विगत 3 वर्षों में भुगतान किये गये बिक्रीकर का विवरण:-

8- नये अनुज्ञापन प्रदान करने के लिए संस्तुति प्रदान करते समय स्थानीय अधिकारी यह देख लें कि इकाई के पास उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त परिसर है जिसमें अल्कोहल संचय के लिए निर्मित उत्पाद संचय हेतु अपने निर्माण कार्य के लिए पृथक-पृथक कक्ष की व्यवस्था है और उत्पाद निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले सभी उपकरण इकाई में स्थापित किये जा चुके है । केवल छोटे एफ. एल. -41 अनुज्ञापनों के लिए परिसर सम्बन्धी प्राविधानों से छूट दी जा सकती है यदि किसी एफ. एल. -40, 41 उद्योग के लिए 1000 बल्क लीटर एस.डी. एस. वर्तमान का कोटा प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इकाई के पास एस.डी. एस. संचय करने के लिए उपयुक्त पात्रता का वेयर हाउस उपलब्ध है ।

9- प्रस्तावित उद्योग जिस उत्पाद के निर्माण में अल्कोहल उपयोग करना चाहता है उसके निर्माण विधि क्या आई. एस. आई. या अन्य मान्यता प्राप्त लिट्रेचर साहित्य पर आधारित है । यदि ऐसा नहीं है तो मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ।

10- प्रस्तावित इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों की प्राविधिक योग्यताओं के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जाय यह भी देखा जाय कि उक्त योग्यताओं वाले व्यक्ति उद्योग चलाने के लिए सक्षम है अथवा नहीं ।

11- क्या प्रस्तावित इकाई ने एक्सप्लोसिव ऐक्ट विष अधिनियम आदि के अंतर्गत रा मैटेरियल संचित करने के लिए उपयुक्त अनुज्ञापन प्राप्त कर लिये है ।

..........2/

12- प्रस्तावित इकाई यदि पार्टनरशिप फर्म है तो उसके रजिस्ट्रार या फर्म्स द्वारा पंजीकृत कराने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय। पार्टनरशिप डीड की प्रतिलिपि भी प्राप्त की जाये। प्रस्तावित इकाई यदि लिमिटेड कम्पनी है तो उसके डायरेक्टर या मैनेजर को अधिकृत करते हुए प्राप्त की जाये। ऐसी कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन मेमोरेण्डम भी उपलब्ध करा लिया जाये।

13- प्रस्तावित इकाई के प्रोप्राइटर/पार्टनर/डायरेक्टरों आदि के ऊपर सरकारी राजस्व के शेष बकाया के बारे में जानकारी प्राप्त की जाये यदि कोई सरकारी राजस्व बकाया है तो उसे वसूल न किये जाने की जानकारी प्राप्त की जाये। एफ. एल.-39 व 40 अनुज्ञापन प्राप्त करने वाले औद्योगिक इकाईयाँ अपने मशीनरी व प्लान्ट की उत्पादन क्षमता की घोषणा करें व उक्त उत्पादन क्षमता के लिए कितने अल्कोहल की आवश्यकता होगी, के बारे में इकाई स्पष्ट [illegible] जानकारी उपलब्ध करायें।

14- प्रस्तावित एफ. एल.-41 अनुज्ञापन के अंतर्गत बनाये जाने वाले प्रस्तावित उत्पादन की मांग की सर्वेक्षण रिपोर्ट अधिकृत सर्वेयर द्वारा आवेदन से अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने के लिए कहा जायेगा।

15- एफ. एल.-39, 40, व 41 अनुज्ञापनों के प्रार्थना पत्रों के साथ आवेदकों से एक टेक्निकल रिपोर्ट या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाये, कि अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य कोई कच्चा माल प्रस्तावित उत्पाद के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं है।

16- इकाई का प्रस्तावित प्लान्ट व मशीनरी का लाइन डाईग्राम इंजीनियरिंग स्पेसीफिकेशन के साथ उपलब्ध कराया जाय।

17- जिला आबकारी अधिकारी/उप आबकारी आयुक्त, चार्ज प्राप्त [illegible] प्रपत्र में इकाईयों के प्रार्थना पत्र तथा परिसर के नक्शा पत्र तीन प्रतियों में स्पष्ट टीप्पणी के साथ परीक्षण करके निम्नलिखित सूचनाओं के साथ आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे:

(1) इकाई को यदि विगत वर्षों में कोई कोटा दिया गया है तो उसका पूर्ण विवरण, उपभोग की स्थिति सहित।

(2) एस. डी. एस. आवंटन किये जाने के संबंध में निम्न प्रपत्र में संस्तुति दी जाये :-

क- कितनी मात्रा की संस्तुति की जाती है।

ख- मात्रा की संस्तुति प्रतिमाह के लिए है अथवा नहीं ?

{8} क्या एफ.एल.-39 अनुज्ञापी ने स्पिरिट संचय का हिसाब परिपत्र एफ.एल.-42 में रख रहे हैं और क्या किसी माह में स्टोरेज छीजन 1.5% से अधिक हुआ है और यदि हाँ तो क्या नियम-5(1) के अनुसार उस पर निर्धारित दर से पेनाल्टी लगायी गयी है।

{9} इकाई द्वारा अल्कोहल का उपयोग जिन-जिन उत्पाद बनाने के लिए हुए फार्मूले से किया गया है उसके अनुसार उसके गणनात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाये।

{10} उपरोक्त के अतिरिक्त यदि इकाई के विरुद्ध अल्कोहल के दुरुपयोग या नियमों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है तो उसके बारे में भी विस्तृत आख्या इस कार्यालय को भेजी जाय।

{11} नवीनीकरण की सभी संस्तुतियां जिला आबकारी अधिकारी, उप आबकारी आयुक्त चार्ज के माध्यम से इस कार्यालय को भेजी जाय।

{12} यह देखा जाय कि उत्पादित माल सही व वैध व्यक्ति { } पार्टियों को भेजा गया है। उसका विवरण उपलब्ध कराया जाये।

{13} विगत तीन वर्षों में इकाई द्वारा उठाई गई अल्कोहल की मात्रा का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

{14} इकाई द्वारा विगत तीन वर्षों में उठाई गयी एस.डी.एस. पर कर शुल्क की अदायगी का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

{15} कर/शुल्क अदायगी के विरुद्ध यदि इकाई ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है और बकाया के लिए बैंक गारन्टी/डिपोजिट जमा करने के निर्देश हैं तो जमा की जा रही/की गयी बैंक गारन्टी की अद्यतन स्थिति का विवरण उपलब्ध कराया जाये।

{16} इस कार्यालय के पत्र संख्या-2295-2573/दो-805ए(1)/29, दिनांक 9.10.91 द्वारा एफ.एल.-39, 40, व 41 के अनुज्ञापियों को तीन माह का प्रार्थना पत्र न प्राप्त होने पर अनुज्ञापन निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। अतः यदि कोई इकाई तीन महीने तक अनुज्ञापन के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत करती है तो उसके अनुज्ञापन के निरस्तीकरण संस्तुति भेजी जाये।

एफ.एल.-39, 40 व 41 अनुज्ञापी, मार्च का एस.डी.एस. का कोटा प्राप्त करने के बाद अपना अनुज्ञापन 20 मार्च तक जिला आबकारी अधिकारी, को नवीनीकरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिला आबकारी अधिकारी,

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर टिप्पणी सहित अपनी आख्या उपायुक्त वार्ड के माध्यम से आबकारी आयुक्त, को 31 मार्च तक अवश्य भेज देंगे । यदि जिला आबकारी अधिकारी उपायुक्त/सहायक आबकारी आयुक्त, द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र आयुक्त को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ तो उनके द्वारा विलम्ब का कारण का भी उल्लेख किया जायेगा ।

ऐसी सभी इकाईयों को जिन्होंने अनुज्ञापन नवीनीकरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र 15 मार्च तक जिला आबकारी अधिकारी, को प्रस्तुत कर दिया है और, जिनके विरुद्ध आबकारी राजस्व का बकाया या आबकारी नियमों के उल्लंघन सम्बन्धी मामले विचाराधीन नहीं है, का अप्रैल मास का एस.डी.एस. का कोटा तदर्थ रूप से प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी जाये । इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में निर्गत हो जाना चाहिए ताकि उनका निर्माण कार्य न रुके ।

एफ. एल. -39, 40, व 41 इकाईयों का कोटा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराई जाय:-

1- क्या इकाई द्वारा विगत तीन वर्षों में एस.डी.एस. के निर्धारित कोटे का उपभोग कर लिया गया । यदि, नहीं तो क्या इकाई ने विगत तीन वर्षों में निर्धारित कोटे के 90% की मात्रा तक उपभोग कर लिया है । और इस एस.डी.एस. द्वारा आबकारी आयुक्त, के निर्धारित सूत्र के अनुसार ही उत्पादित विनिर्दिष्ट प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है ।

2- क्या इकाई के विरुद्ध एस.डी.एस. के दुरुपयोग या आबकारी नियमों के उल्लंघन के गम्भीर मामले विगत वर्षों में पकड़े गये हैं । यदि हाँ तो यह मामले किस प्रकार के हैं और कब पकड़े गये हैं ? और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ।

3- क्या विगत तीन वर्षों में उत्पादित माल के कम से कम 75% मात्रा की खपत सम्बन्धित वर्षों में हो गई है । क्या उत्पादित माल की बिक्री जेनविन (सही) फर्मों को की गई है और क्या ऐसी बिक्री की गई माल का सही ढंग से हिसाब रखा गया है । जिन फर्मों को बिक्री की गई उनका सत्यापन करते हुए सूचना उपलब्ध कराया जाये ।

4- विगत वर्षों में इकाई द्वारा नियमित कोटे के उपभोग होने के पश्चात उत्पाद सप्लाई करने को कितने ऐसे आर्डर पेन्डिंग है जिनका अल्कोहल के अभाव में आपूर्ति नहीं की [illegible] हुये पेन्डिंग आर्डर की आपूर्ति करने में कितने अल्कोहल की आवश्यकता है ? पृथक पृथक [illegible] इकाईयों के पेन्डिंग आर्डर के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त की जाय ।

5- विगत वर्षों में अल्कोहल के अभाव में आपूर्ति नहीं किये जा सके । पेन्डिंग आर्डर में से कितने सरकारी संस्थान द्वारा दिये गये है और कितने प्राइवेट पार्टीज द्वारा दिये गये है और इनकी आपूर्ति करने में कितने अल्कोहल की आवश्यकता होगी ? पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये ।

6- विगत तीन वर्षों में इकाई द्वारा प्राप्त नियमित तथा तदर्थ कोटे का विवरण प्राप्त किया जाय । विगत तीन वर्षों में इकाई द्वारा प्राप्त नियमित तथा तदर्थ कोटे का औसत क्या रहा है ?

7- क्या एफ०एल०-[illegible] इकाईयों जिनके कोटे को बढ़ाने के मामले विचाराधीन है, के कोटे में विगत तीन वर्षों में कोई वृद्धि तो नहीं हुई है, यदि हाँ तो कब और कितनी ?

8- कोटे बढ़ाने की के सभी मामले उप आबकारी आयुक्त/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जाय ।

एफ०एल०-[illegible] 40, 41 इकाईयों को स्थापित कोटा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराई जाय :-

1- क्या आसवनी में एस०डी०एस० उपलब्ध न होने के कारण इकाई को एस०डी०एस० के कोटा को निकासी नहीं हो पाई, क्या आसवनी ने इस बात का प्रमाण पत्र दिया है कि उक्त कारणों से एस०डी०एस० की आपूर्ति नहीं की जा सकती है ।

2- स्थापित कोटा दिये जाने से एस०डी०एस० का दुरूपयोग तो नहीं होगा ।

3- यदि इकाई द्वारा स्थान परिवर्तन से [illegible] आदि होने के कारण कोटा न उठाया गया हो तो उसके सम्बन्ध में विस्तृत आख्या उपलब्ध कराई जाय ।

4- [illegible] कोई ऐसा मामला जिसके कारण इकाई कोटा उठाने में असमर्थ [illegible] प्रकाश डालते हुए आख्या भेजी जाये ।

निवान/

ग- किसे माल के लिए ?

घ- किस प्रयोजन हेतु ?

ङ- क्या इकाई द्वारा अनुज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं, यदि नहीं तो विवरण एवं औचित्य।

च- अन्य आवश्यक विवरण।

वर्तमान एफ.एल.-40 [illegible] अनुज्ञापत्रों के आगामी वर्ष के नवीनीकरण के लिए संस्तुति करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध करायी जाये:-

(1) क्या इकाई स्वीकृत परिसर में कार्यरत है अथवा नहीं ? और उसके नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(2) क्या इकाई ने विकृत सुरा का उपयोग स्वीकृत उत्पाद के निर्माण में किया है और निर्माण प्रक्रिया आबकारी निरीक्षक के उपस्थिति में सम्पन्न करायी गयी है, इस सम्बन्ध में आबकारी निरीक्षक की स्पष्ट रिपोर्ट संलग्न की जाय।

(3) क्या निर्मित उत्पाद का निर्माण अनुमोदित सूत्र के अनुसार किया गया है, यदि निर्मित उत्पाद में इकाई द्वारा घोषित अल्कोहल की ताकत और अनुमोदित सूत्र में अंकित ताकत में 2% से अधिक का अन्तर है तो इकाई के विरुद्ध नियम-(3) के अंतर्गत क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या इकाई द्वारा अल्कोहल के उपयोग, कच्चे माल के उपभोग तथा निर्मित माल के निस्तारण का विवरण अभिलेखों में अंकित किया जा रहा है।

(5) क्या इकाई ने गत वर्ष अनुज्ञापन शुल्क, प्रवेश टैक्स इत्यादि के अतिरिक्त की देय धनराशि का भुगतान कर दिया है और क्या इकाई के जिम्मे उक्त प्रकार की कोई धनराशि बकाया है, यदि है तो क्यों ?

(6) यदि इकाई का निर्धारित कोटा 1,000 लीटर से अधिक है तो क्या इकाई ने स्टाक संग्रह करने हेतु अपने परिसर में मेजर वैट स्थापित कर लिया है। यदि मेजर वैट उपलब्ध है तो क्या वह आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं ?

(7) क्या एफ.एल.-40 अनुज्ञापनों के नियम-(2) (2) (ख) के अंतर्गत परिपत्र एफ.एल.-40 [illegible] दिया है।

......4/

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

9 जनवरी, 1991 ई०

सं० 3040 ई०—806-ए (26)-15—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स नियमावली, 1976 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1991

27 छ

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्ट या विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—नियम 4 का संशोधन—उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स नियमावली, 1976, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (9) और (10) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान उप-नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप—नियम
(9) लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स के अधीन प्राप्त की गई स्प्रिट को किसी परिमाण में न तो बेचेगा या उसे भेंट या अन्य रूप से किसी को देगा अथवा लाइसेन्स में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करेगा।	(9) लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स के अधीन प्राप्त की गई स्प्रिट के किसी परिमाण को न तो बेचेगा, या उसे भेंट के रूप में या अन्यथा किसी को देगा या लाइसेन्स में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग करेगा; प्रतिबन्ध यह है कि मोनोइथलीन ग्लाइकोल या तत् सदृश उत्पाद का निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई आबकारी आयुक्त की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति से, निर्माण की प्रक्रिया में पायी गयी अवशिष्ट स्प्रिट को जिसमें 0.5 पी० पी० एम० से अधिक सल्फर हो, आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अनुसार इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स रखने वाली किसी अन्य इकाई को बेच सकती है।
10—जिले के कलेक्टर की लिखित स्वीकृति के बिना स्प्रिट लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि से हटाई नहीं जायगी।	(10) कोई स्प्रिट आबकारी आयुक्त की लिखित स्वीकृति के बिना, लाइसेन्स प्राप्त भू—गृहादि से हटायी नहीं जायगी।

3—नियम 5 का संशोधन— उक्त नियमावली में, नियम—5 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(च) कोई स्प्रिट आबकारी अधिकारी द्वारा यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भू—गृहादि से बाहर नहीं ले जायी जायेगी।	(च) कोई स्प्रिट आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भू—गृहादि से ले नहीं जायी जायेगी।

January 9, 1991

No. 3040/II—805-A(26)-15.—In exercise of the powers under section 41 of the U. P. Excise Act, 1910 (U. P. Act no. IV of 1910), the Excise Commissioner, with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976.

THE UTTAR PRADESH LICENCES FOR THE POSSESSION OF DENATURED SPIRIT AND SPECIALLY DENATURED SPIRIT (THIRD AMENDMENT) RULES, 1991.

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit (Third Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once

2. Amendment of rule 4.—In the Uttar Pradesh Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976, hereinafter referred to as the said rules, in rule

existing sub-rules (9) and (10) set out in Column I below, the sub-rules as set out in Column II shall be substituted, namely :

COLUMN I *Existing sub-rules*	COLUMN II *Sub-rules as hereby substituted*
(9) The licensee shall not sell or part with as gift or otherwise any quantity of spirit obtained under the licence or utilise it for purpose other than stated in the licence.	(9) The licensee shall not sell or part with as gift or otherwise any quantity of spirit obtained under the licence or utilise it for purposes other than stated in the licence : Provided that an industrial unit manufacturing Mono Ethyline Glycol or the like products may, with the prior sanction in writing of the Excise Commissioner to sell the residual spirit, recovered in the process of manufacture containing more than 0.5 PPM sulpher, to any other unit holding a licence under these rules in accordance with the terms and conditions as specified by the Excise Commissioner in this behalf.
(10) No spirit shall be removed from the licensed premises without the sanction in writing of the Collector of the District.	(10) No spirit shall be removed from the licensed premises without the sanction, in writing, of the Excise Commissioner.

3. **Amendment of rule 5.**—In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), for the existing clause (*f*) set out in Column I below, the clause as set out in Column II shall be substituted, namely :

COLUMN I *Existing clause*	COLUMN II *Clause as hereby substituted*
(*f*) No spirit shall be taken away from the premises by person other than a duly authorised Excise Officer.	(*f*) No spirit shall be taken away from the premises by anyone other than a person duly authorised by the Excise Commissioner.

प्रदीप कुमार,

आबकारी आयुक्त ।

...other securities shall on deposit, be endorsed to the Collector of the district by designation. The distiller shall be allowed to draw, as it falls due, the interest accruing on them.

or other securities shall on deposit, be endorsed to the Collector of the district by designation. The distiller shall be allowed to draw, as it falls due, the interest accruing on them.

13 जनवरी, 1990 ई0

सं0 464/जे0 ई0 सी0—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त अपनी अधिसूचना संख्या 953, दिनांक 3 मई, 1976 के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स नियमावली, 1976 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990 कही जायगी।

(2) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2—नियम—3 का संशोधन—उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेन्स नियमावली 1976 में नीचे स्तम्भ—1 में उल्लिखित नियम—3 के स्थान पर स्तम्भ—2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा :—

स्तम्भ—1

वर्तमान नियम—3

3—(क) प्रपत्र वि0 स0—39 में लाइसेन्स के लिए फीस उत्तर प्रदेश की किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर दस पैसा प्रति लिटर की दर से देय होगी यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व लाइसेन्सधारी से वसूल की जायेगी और शीर्षक "039 स्टेट आबकारी वाणिज्य तथा विकृत की हुई स्प्रिट तथा औषधीय जरायें वाणिज्य आसवों (स्प्रिट) के लिये अनुज्ञापित फीस" के अधीन कोषागार में जमा की जायेगी।

(ख) प्रपत्र वि0 स0 40 और वि0 स0 41 में लाइसेन्स के लिए फीस किसी आसवनी/थोक विक्रेता द्वारा वि0 स0 40 और 41 के लाइसेन्सधारी को की गई बिक्री पर यथामूल्य 25 प्रतिशत की दर पर लाइसेन्स जारी किए जाने के पूर्व अग्रिम रूप में देय होगी।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम—3

3—(क) प्रपत्र वि0 स0—39 में लाइसेन्स के लिए फीस, उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर पन्द्रह पैसा प्रति लिटर की दर से देय होगी। यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक आसवनी द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व लाइसेन्सधारी से वसूल की जायगी और शीर्षक "039—स्टेट एक्साइज—ई—कामर्शियल एण्ड डिनेचर्ड स्प्रिट मेडिकेटेड वाइन—की—लाइसेन्स फीस कामर्शियल स्प्रिट" के अधीन कोषागार में जमा की जायेगी।

(ख) वि0 स0 40 और वि0 स0 41 में, लाइसेन्स के लिये फीस वि0 स0 40 और वि0 स0 41 के लाइसेन्सधारियों को आसवनी/थोक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री पर यथामूल्य 40 प्रतिशत की दर से लाइसेन्स के जारी किये जाने के पूर्व अग्रिम रूप में देय होगी।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 464/JEC, dated January 13, 1990 :

No. 464/JEC

January 13, 1990

In exercise of the powers under section 41 of the U. P. Excise Act, 1910 (Act no. IV of 1910), and with the previous sanction of the State Government the Excise Commissioner makes the following rules with a view to amend the U. P. Licences for the possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976 published under his notification no. 953, dated May 3, 1976.

U. P. LICENCES FOR THE POSSESSION OF DENATURED SPIRIT AND SPECIALLY DENATURED SPIRIT (SECOND AMENDMENT) RULES, 1990.

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the U. P. licences for possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit (Second Amendment) Rules, 1990

They shall come into force with immediate effect.

[illegible]ment of Rule 3.—In the U. P. Licences for the Possession of Donatured Spirit and [illegible] Donatured Spirit Rules, 1976 for Rule 3 mentioned in Column I, the rule as mentioned [illegible] column II shall be substituted :

COLUMN I	COLUMN II
Existing Rule 3	*Rule 3 as hereby substituted*
Rule-3.—(*a*) The fee for a licence in Form F. L. 39 shall be at the trate of ten paise per litre, payable on the quantity of specially donatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge distillery from the licensee before making issued of the specially donatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head—"039—State Excise—E—Commercial and donatured spirit medicated wines—B—licence fees commercial spirits."	**Rule-3** (*a*) :—The fee for a licence in Form F. L. 39 shall be at the rate of Fifteen paise per litre, payable on the quantity of specially donatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge distillery from the licensee before making issues of the specially donatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head—"039—State Excise—E—Commercial and Donatured spirit medicated wines—B—licence fees commercial aptirits."
(*b*) The fee for a licence in Form F. L. 40 and F. L. 41 shall be at the rate of 25 per cent *ad valorem* on the sale made by a distillery/wholesale vendor to F. L. 40 and F. L. 41 licensees, payable in advance before the issue of licence.	(*b*) The fee for a licence in Form F. L. 40 and F. L. 41 shall be at the rate of 40 per cent *ad valorem* on the sale made by a distillery/wholesale vendor to F. L. 40 and F. L. 41 licensees, payable in advance before the issue of licence.

प्रवीण कुमार

आबकारी आयुक्त।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 951/Licence-3 dated May 31,1979.

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH ALLAHABAD.
No. 951/Licence-3
Dated : Allahabad: May 31, 1979.

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act, 1910(act No. IV of 1910), and with the previous sanction of the State Government the Excise Commissioner makes the following rules with a view to amend the U.P. Licences for Possession of Denatured spirit and Specially Denatured spirit rules, 1976 published under his notifications No. 953 dated May 3, 1976.

The U.P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured spirit(amendment)Rules, 1979.

Short title Commencement. 1. i)These rules may be called the U.P.Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit(amendment)Rules, 1979.

ii)They shall come into force from June 1,1979.

Amendment of Rule 3. 2. In the U.P. Licences for the possession of Denatured Spirit and Specially denatured Spirit Rules, 1976 for the Rules mentioned in Column 1, the rules as mentioned in Column 2 shall be substituted :

COLUMN 1 Existing Rule	COLUMN 2 Rules as hereby substituted :
Rule 3.(a) The fee for a licence in Form F.L.39 shall be at a rate prescribed for industry to industry by the Excise Commissioner per litre, payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector incharge Distillery from the licensee before making issues of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head "State Excise Miscellaneous Confiscation and Miscellaneous(a)Contribution towards establishment." (b)The fee for a licence in Form F.L.40 and F.L.41 shall be as prescribed below for a year or part thereof, payable in advance before the issue of licence: (i) where the licence is for the possession of less than 5000 bulk litres of denatured spirit per annum. Rs.100 (ii)Where the licence is for the possession of 5000 litres [illegible] denatured spirit per [illegible]	~~rules as hereby substituted:~~ Rule 3(a) The fee for a licence in Form F.L.39 shall be at a rate of ten paise per litre payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge Distillery from the licensee before making issued of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head -"039-State Excise - B -Commercial and Denatured spirits and medicated wines-b-Licence fees for commercial spirits." (b)The fee for a licence in Form F.L. 40 and F.L.41 shall be at the rate of 25 percent advaloram on the sale made by a distillery/wholesale vendor to F.L.40 and F.L.41 licensees, payable in advance before the issue of licence.

By Order,

FARHAT ALI
EXCISE COMMISSIONER.

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

अधिसूचना

7 मई, 1976 ई0

सं0 951—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा समय-समय पर यथा संशोधित आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 9473/9—213-ए, दिनांक 25 मार्च, 1926 के अधीन प्रकाशित शीर्षक "विकृत स्प्रिट के थोक तथा फुटकर बिक्री के लिए लाइसेन्स" के अधीन बनाई गई नियमावली के नियम 20 का अतिक्रमण करके, उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, विकृत स्प्रिट, जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनों के निमित्त विशिष्टतया विकृत स्प्रिट भी है, को कब्जे में रखने के लाइसेन्सों से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

नियमावली

1—संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली, 1976 कहलाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) इस नियमावली में विषय अथवा प्रसंग से किसी प्रतिकूल बात के न होने पर "विशिष्टतया विकृत स्प्रिट" का तात्पर्य ऐसी रीति से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त की गई स्प्रिट से है जो आबकारी आयुक्त की अधिसूचना द्वारा एतदर्थ विहित की जाय और इसके अन्तर्गत सामान्य प्रयोग के लिए साधारण विकृत स्प्रिट नहीं है।

2—कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस धारा—20(4)—विकृत स्प्रिट जिसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनों के निमित्त विशिष्टतया विकृत स्प्रिट भी है, को कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स तीन प्रकार के होंगे, अर्थात् :

(1) प्रपत्र वि0 म0 39—ऐसे उद्योगों में प्रयोग के लिए जिनमें अल्कोहल नष्ट कर दिया जाता है अथवा उसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है और ऐसे उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है, यथा इथर, क्लोरोफार्म, स्टाईरीन, ब्यूटाडाइन, एसीटोन, पोलीथीन इत्यादि।

(2) प्रपत्र वि0 म0 40—ऐसे उद्योगों में प्रयोग के लिए जिनमें अल्कोहल केवल विलायक (साल्वेन्ट) के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और उस उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के निमित्त प्राप्त किया जाता है यथा ग्लूकोज तथा इसके व्युत्पादित पेक्टिन इत्यादि।

(3) प्रपत्र वि0 म0 41—ऐसे उद्योगों में प्रयोग के लिए, जिनमें अल्कोहल प्रत्यक्षरूप से प्रयोग में लाया जाता है अथवा विलायक (साल्वेन्ट) या वाहक (वेहिकिल) के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तथा अपने अंतिम उत्पाद में कुछ सीमा तक उपस्थित रहता है, जैसे प्रलाक्षारस (लैकर), वार्निश, पालिश, दवाइयाँ (ड्रग्स), कीट-निरोधक (ऐंटीसेप्टिक) तथा सेन्ट, तरल द्रव्य...

(3)(क) प्रपत्र वि0 म0 39 में लाइसेन्स के लिए फीस, उत्तर प्रदेश की किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के परिमाण पर आबकारी आयुक्त द्वारा अलग-अलग उद्योग के लिए विहित प्रति लीटर दर पर देय होगी। यह फीस प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किए जाने के पूर्व लाइसेन्सधारी से वसूल की जाएगी और शीर्षक "039 स्टेट एक्साइज मिसलेनियस कन्सिडरेशन एण्ड मिसलेनियस (ए) कन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इस्टैब्लिशमेन्ट" के अधीन कोषागार में जमा की जायगी।

(ख) प्रपत्र वि0 म0 40 तथा वि0 म0 41 में लाइसेन्स के लिए फीस लाइसेन्स जारी किए जाने के पूर्व अग्रिम रूप से एक वर्ष अथवा उसके भाग के लिए, नीचे विहित की गई दर पर देय होगी :—

	रु0
(1) यदि लाइसेन्स प्रतिवर्ष 5,000 बल्क लिटर से न्यून विकृत स्प्रिट कब्जे में रखने के लिए हो	100.00
(2) यदि लाइसेन्स प्रतिवर्ष 5,000 लीटर अथवा इससे अधिक विकृत स्प्रिट कब्जे में रखने के लिए हो	200.00

4—सामान्य शर्तें—औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विकृत स्प्रिट रखने के लिए समस्त लाइसेन्सधारी व्यक्तियों पर निम्नलिखित सामान्य शर्तें बन्धनकारी होंगी :

(1) लाइसेन्सधारी अपने लाइसेन्स के संबंध में प्रयोज्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के समस्त नियमों तथा अपने लाइसेन्स की सामान्य और विशिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(2) लाइसेन्सधारी यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाय, लाइसेन्स स्वीकृत किए जाने के पूर्व अथवा अपने लाइसेन्स जारी रहने के दौरान किसी भी समय लाइसेन्स की शर्तों तथा निबन्धनों को समुचित रूप से पालन करने के लिए कलेक्टर के पास नकद अथवा सरकारी प्रोनोट या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में ऐसी धनराशि, जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित की जाय, प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा। लाइसेन्स की शर्तों तथा निबन्धनों का अनुपालन न करने की दशा में इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूति लाइसेन्सधारी को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर दिए जाने के पश्चात् सरकार के पास समपहृत हो जाएगी और उन अन्य शास्तियों के अतिरिक्त जिनकी व्यवस्था विधि के अधीन की जाय, उसका लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है।

(3) लाइसेन्स लाइसेन्सधारी को व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत अथवा नवीकृत किया गया समझा जाएगा और आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसे न अन्तरित किया जायेगा या पट्टे पर दिया जायेगा अथवा बेचा जायेगा।

(4) लाइसेन्सधारी आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा के बिना उस भू-गृहादि को जिसमें वह लाइसेन्स के अधीन कारबार करता है, नहीं बदलेगा तथा यह तथ्य को कलेक्टर अथवा उसके...

97

[illegible] यथाविधि [illegible] किसी अधिकारी द्वारा लाइसेन्स [illegible] किया जायेगा और इसकी सूचना आबकारी आयुक्त को दी जायेगी ।

(5) यदि लाइसेन्सधारी लाइसेन्स के अन्तर्गत आने वाले [illegible] के सम्बन्ध में भागीदारी करना चाहता है तो वह केवल आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही ऐसा [illegible] और इसके लिए उसका लाइसेन्स उचित रूप से संशोधित किया जायगा जहां भागीदारी की गई हो वहां भागीदार तथा [illegible] का मुख्याधिकारी दोनों ही लाइसेन्स की शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे ।

(6) यदि कोई भागीदारी विघटित हो जाय तो विघटन के [illegible] आबकारी आयुक्त को समस्त विघटित भागीदारों द्वारा [illegible] के भीतर सूचित किया जायेगा ।

(7) यदि लाइसेन्सधारी व्यापार चलाने में असमर्थ हो अथवा उसकी मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय [illegible] फर्म, कम्पनी अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था की [illegible] और वह समाप्त हो जाय तो आबकारी आयुक्त---

---या तो लाइसेन्स को रद्द कर सकता है,

अथवा

---उस लाइसेन्सधारी के विधिक प्रतिनिधियों यदि कोई [illegible] जारी रख सकता है ।

(8) यदि लाइसेन्सधारी व्यापार बन्द करदे तो वह विकृत [illegible] अपने स्टाक को ऐसी रीति से निस्तारित करेगा जैसा [illegible] आयुक्त निर्देश दें ।

(9) लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स के अधीन प्राप्त की गई [illegible] किसी भी परिस्थिति में न तो बेचेगा या उसे भेंट या अन्य [illegible] दे देगा अथवा लाइसेन्स में उल्लिखित प्रयोजनों [illegible] प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करेगा ।

(10) जिले के कलेक्टर की लिखित स्वीकृति के [illegible] अथवा भू-गृहादि से हटाई न जायगी ।

(11) स्प्रिट को मानव उपभोग के उपयुक्त बनाने के लिए [illegible] द्वारा किया गया कोई भी [illegible] उन शास्तियों के [illegible] संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम के अधीन [illegible], उसके लाइसेन्स को रद्द किए जाने योग्य बना [illegible] स्प्रिट को अप्राधिकृत [illegible] में विक्रय किया जाय तो [illegible] सम्बद्ध स्प्रिट को जब्त कर सकता है ।

(12) प्रत्येक ऐसी बोतल, कनस्तर, लकड़ी के पीपे (कास्क) [illegible] जिसमें स्प्रिट भरा हो और जो लाइसेन्स प्राप्त [illegible] के लिए [illegible] लगा हुआ एक [illegible] हिन्दी तथा अंग्रेजी में चेतावनी छपी होगी और [illegible] आड़ी पड़ी हुई दो जलसियां बनी होंगी, [illegible] । लेबिल की डिजाइन और [illegible] होगी [illegible] आयुक्त अनुमोदित करें ।

[illegible] लाइसेन्स के अधीन [illegible] आने वाले व्यापार [illegible] अधिकारी को [illegible] और उससे लाइसेन्स [illegible] रसीद प्राप्त करके अपने [illegible] के जिला [illegible] को दे देगा । लाइसेन्सधारी विहित की [illegible] ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा और [illegible] [illegible] निरीक्षण ।

(14) लाइसेन्सधारी किसी भी समय अपना लाइसेन्स और [illegible] आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक से नीचे के पद का न हो, मांगे जाने पर उसे निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करेगा और अपने लाइसेन्स रजिस्टरों, परमिटों अथवा पासों, स्प्रिट के कुल [illegible] तथा तैयार माल और भू-गृहादि का उक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण होने देगा ।

(15) लाइसेन्सधारी एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसके पृष्ठ क्रमानुसार संख्यांकित होंगे और उसे आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक से नीचे के पद का न हो, मांगे जाने पर देगा । लाइसेन्सधारी को दिया गया कोई भी दण्ड अथवा चेतावनी बिना उसके लाइसेन्स को [illegible] अथवा रद्द किए, उस पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी ।

5---विशेष शर्तें---प्रपत्र वि० म० 39, वि० म० 40 तथा वि० म० 41 का लाइसेन्स उपर्युक्त नियम 4 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष शर्तों के अधीन होगा :

(1) प्रपत्र वि० म० 39 में लाइसेन्स---

(क) प्रयुक्त स्प्रिट में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित विकर्ता पदार्थ मिला होगा और विकर्ता पदार्थ उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में वह राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय ।

(ख) जारी किए जाने के लिए अनुमति स्प्रिट का परिमाण किसी भी वर्ष में ------------ लीटर से अधिक न होगा

(ग) स्प्रिट उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से प्राप्त की जायेगी ।

(घ) स्प्रिट आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित माप कुण्ड (भंडार टंक) अथवा अन्य बर्तन में संग्रहीत की जायेगी । ऐसे समस्त पात्रों पर स्पष्ट क्रम संख्या दी होगी और उनकी पूरी क्षमता स्पष्ट तथा सुबोध रूप में उनके ऊपर अंकित की जायेगी ।[1]

(ङ) स्प्रिट एक अलग कमरे में संग्रहीत की जायेगी जिसे स्प्रिट स्टोर कहा जायेगा ।

स्प्रिट स्टोर की खिड़कियों पर घातवर्ध्य (मैलेबल) लोहे की छड़, जिनकी मोटाई दो सेन्टीमीटर से कम न हो, इस प्रकार लगाई जायेंगी कि एक दूसरे से अधिक से अधिक 10 सेन्टीमीटर की दूरी पर [illegible] प्रत्येक छोर ईंट की चिनाई के भीतर कम से कम 5 सें० मी० तक धंसे रहें । प्रत्येक खिड़की के भीतरी भाग में छड़ों से मजबूती से बंधी हुई तार की सुदृढ़ जाली लगाई जायेगी, जिसका छिद्र कम से कम 2 सेन्टीमीटर व्यास का होगा । स्प्रिट स्टोर में केवल एक प्रवेश मार्ग होगा और उसके प्रत्येक कक्ष में एक दरवाजा होगा । ये समस्त दरवाजे आबकारी निरीक्षक की अनुपस्थिति के दौरान [illegible] स्प्रिट लाक द्वारा सुरक्षित रहेगा ।

आबकारी आयुक्त के पूर्व आदेश के बिना स्प्रिट स्टोर के भू-गृहादि में अथवा उसके स्थायी फिक्चर के सम्बन्ध में कोई परिवर्धन अथवा परिवर्तन नहीं किया जायेगा । स्प्रिट स्टोर केवल प्रभारी आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में खोला तथा बन्द [illegible]

टिप्पणी—किसी विशेष उद्योग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आबकारी आयुक्त किसी लाइसेन्सधारी को इस नियम के प्रवर्तन से पूर्णतः अथवा अंशतः मुक्त कर सकता है।

(त) कोई स्प्रिट आबकारी अधिकारी द्वारा यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भू-गृहादि से बाहर नहीं ले जाई जायेगी।

(थ) संग्रहण कुण्ड से हटाई जाने वाली स्प्रिट के प्रत्येक परिमाण के लिये आवेदन पत्र लिखित रूप में प्रभारी आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो एक विहित रजिस्टर में दिन-प्रतिदिन जारी किये गये परिमाण को अभिलिखित करेगा।

(द) लाइसेन्सधारी, आसवनी से प्राप्त संग्रहण कुण्ड में संग्रहीत निर्माण में प्रयुक्त तथा स्टाक में बची हुई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट का अद्यतन लेखा दिन को समाप्ति पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित प्रपत्र वि०भ० 42 यथा रीति से रखेगा।

(ध) लाइसेन्सधारी लाइसेन्स के दिनांक की समाप्ति से कम से कम एक मास पूर्व जिले से सम्बद्ध जिले के कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र देगा।

(न) लाइसेन्सधारी, प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा स्टाक का सत्यापन किये जाने के पश्चात् प्रत्येक कलेण्डर मास के अन्तिम कार्य दिवस को पाये गये विकृत स्प्रिट के 1.5 प्रतिशत से अधिक संग्रहण छीजन पर विकृत स्प्रिट पर अतिरिक्त विहित विक्रय शुल्क (वेन्ड फी) की दर से शास्ति का देनदार होगा।

(प) किसी पदार्थ के निर्माणार्थ उत्तर प्रदेश की किसी आसवनी से प्राप्त की गई विशिष्टतया विकृत स्प्रिट की निकासी पर लाइसेन्सधारी राज्य सरकार द्वारा प्रति लीटर विहित दर पर फीस का भुगतान करेगा।

(फ) आसवनी से विशिष्टतया विकृत स्प्रिट जारी किये जाने के पूर्व फीस आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा लाइसेन्सधारी से वसूल की जायेगी और उसे शीर्षक "039—क—राज्य आबकारी शुल्क-वाणिज्यिक प्रयोग से प्राप्तियाँ" के अधीन कोषागार में जमा किया जायगा।

(ब) पर्यवेक्षण के लिये आवश्यक आबकारी कर्मचारियों की संख्या आबकारी आयुक्त द्वारा निश्चित की जायेगी और उसका निर्णय लाइसेन्सधारी पर बन्धनकारी होगा। लाइसेन्सधारी लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि के समीप आबकारी आयुक्त के संतोषानुसार प्रभारी अधिकारी के लिये कार्यालय-फर्नीचर सहित कार्यालय और आबकारी कर्मचारी वर्ग के लिये उपयुक्त क्वार्टरों की व्यवस्था करेगा। लाइसेन्सधारी क्वार्टरों तथा उनकी सहायक-व्यवस्था की उचित मरम्मत कराने के लिये बाध्य होगा और वहाँ रहने वाले किसी अधिकारी को उनका प्रयोग अथवा उपभोग करने में व्यवधान न उत्पन्न करेगा अथवा न परेशान करेगा। स्थान की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला आबकारी आयुक्त को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम तथा लाइसेन्सधारी पर बन्धनकारी होगा।

(भ) लाइसेन्सधारी प्रभारी आबकारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा सेवायोजित प्रबन्धक तथा अन्य कर्मचारियों और ऐसे अन्य सहायक कर्मचारियों के नाम होंगे जिनके कर्तव्यों में स्प्रिट स्टोर में प्रवेश करना अपेक्षित हो। वह किसी भी परिवर्तन की सूचना जिसे वह समय-समय पर सूची में करना चाहे, सम्बद्ध आबकारी निरीक्षक को तुरन्त देगा।

(म) लाइसेन्सधारी अपने पास निम्नलिखित रजिस्टर की प्रतियों में रखेगा :—

(क) अल्कोहल के मांग-पत्र के लिये रजिस्टर।

(ख) स्प्रिट स्टोर में लेन-देन का रजिस्टर जिसमें स्प्रिट की प्राप्ति अथवा व्ययन दिखलाया जायेगा।

(ग) निर्माणशाला में होने वाली क्रियाओं का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक वस्तु का निर्माण, उत्पादित वस्तुओं की कुल परिमाण तथा प्रति लिटर स्प्रिट की मात्रा, यदि कोई हो, दिखलाई जायेगी।

(घ) समस्त रजिस्टर तथा प्रपत्र जिन्हें आबकारी आयुक्त, विहित करें, लाइसेन्सधारी द्वारा निर्माण क्रियाओं का पर्यवेक्षण करने के लिये सम्बद्ध आबकारी निरीक्षक को दिये जायेंगे।

(ङ) वह निर्माणशाला के लेन-देन का प्रति दिन का लेखा रखेगा।

(2) प्रपत्र वि० म० 40 में जोड़ा जायेगा—

(क) प्रयुक्त स्प्रिट में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग के लिये अनुमोदित विकृती पदार्थ मिला होगा। यह केवल उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से ही प्राप्त किया जायेगा।

(ख) लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि में संग्रहीत स्प्रिट किसी भी समय.........................

बल्क लिटर से अधिक न होगा।

(ग) किसी एक वर्ष में प्रयोग के लिये अनुमत परिमाण.... बल्क लीटर से अधिक न होगा।

(घ) स्प्रिट को प्राप्त करने की एक क्रिया का सम्पूर्ण उत्पाद एक रिसीवर में एकत्र किया जायेगा और प्राप्त की गई सम्पूर्ण स्प्रिट का प्रयोग आसवनी अनुवर्ती विनिर्माण में किया जायेगा तथा उत्पाद स्प्रिट को अलग-अलग भागों अथवा अंशों में एकत्र करने का कोई प्रयास नहीं किया जायगा।

(ङ) वाष्पक से संलग्न स्प्रिट वाष्प पाइप धारिका (कन्डेन्सर) से मजबूती से संलग्न होगा और प्राप्त की गई स्प्रिट एक बन्द गुप्त पाइप से होकर जायेगी जो क्रमशः धारिका (कन्डेन्सर) तथा रिसीवर के आवरण से जुड़ा या विरचित किया गया होगा और जो रिसीवर की पेंदी तक लगभग पहुँचता रहेगा।

(च) किसी स्प्रिट नमूना पाइप का छिद्र (ओरिफिस) व्यास में सिलिण्डर के आठवें भाग से अधिक न होगा।

(छ) रिसीवर का ढक्कन और उसकी उत्सर्जन खिड़की (डिस्चार्ज कॉक) ताले से बन्द होगी जिसे उस समय जब स्प्रिट पात्र में आ रही हो तथा अन्य सभी समय पर जब उसमें स्प्रिट हो, मजबूती से बन्द रखा जायेगा।

(ज) आबकारी विभाग के अधिकारियों को जो निरीक्षक से नीचे पद के न हों, स्प्रिट तथा ऐसे पदार्थों के, जिनमें स्प्रिट हो, नमूने लेने की अनुमति दी जायगी।

(क) प्राप्त की गई सम्पूर्ण विशिष्टतया विकृत स्प्रिट प्रबन्धक अथवा लाइसेन्सधारी द्वारा प्राधिकृत उत्तरदायी व्यक्ति की उपस्थिति में या तो उद्योग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में मिलायी जायेगी अथवा उसे किसी कुण्ड में जिस पर "विशिष्टतया विकृत स्प्रिट" अंकित होगा संग्रहीत किया जायेगा । कुण्ड का ढक्कन तथा उपयोगार्थ टोंटी (डिस्चार्ज कार्क) विभाग (फालनिंग) और ताले द्वारा सुरक्षा पूर्वक बन्द की जायेगी और उसमें से स्प्रिट प्रबन्धक अथवा इस प्रकार प्राधिकृत अन्य उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में तभी निकाली जायेगी जब उसकी प्रविष्टि लेखा पुस्तिका में कर दी गई हो ।

(ख) आबकारी विभाग के यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा स्प्रिट को भू-गृहादि के बाहर नहीं ले जाया जायेगा ।

(ग) ऐसे समस्त पात्र जिन्हें तालाबन्द रखे जाने के आदेश हैं, भू-गृहादि के प्रबन्धक अथवा लाइसेन्सधारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखे जायेंगे और ऐसा कोई भी पात्र आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के जो, निरीक्षक से नीचे पद का न हो, कहने पर तुरंत ही अवश्य खोला जायेगा ।

(घ) विशिष्टतया विकृत सुरा के प्रत्येक पारेषण का परिमाण तथा उसके प्राकृत्य का विवरण प्राप्त होने के दिनांक को ही एक पुस्तिका में प्रविष्टि किये जायेंगे । प्रति दिन का समस्त लेन-देन भी उसी पुस्तिका में प्रविष्टि किया जायेगा और निकाले जाने के पश्चात् प्रत्येक दिन का ठीक-ठीक अवशेष निकाला जायेगा । उक्त पुस्तिकायें आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये जो निरीक्षक से नीचे पद के न हों, और जो भू-गृहादि का निरीक्षण करने के लिये आयें, उपलब्ध होगी और ऐसा प्रत्येक पास जो प्राप्त की गई स्प्रिट के साथ होगा, रख लिया जायेगा और उसे अगली बार भू-गृहादि का निरीक्षण करने के लिये आने वाले अधिकारी को दिया जायेगा ।

(ङ) लाइसेन्सधारी विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के संग्रहण तथा उसके प्रयोग (और इस लाइसेन्स तथा एक्साइज मैनुअल में दिये गये नियमों की शर्तों का अनुपालन करने) के लिये प्रपत्र संख्या वि० प०-40-ग में उतनी धनराशि जितनी आबकारी आयुक्त नियत करें, एक बन्ध पत्र निष्पादित करेगा ।

धारा 10 (4) (3) प्रपत्र वि० प० 41 में लाइसेन्स--

(क) लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि में एक नाम फलक (साइन-बोर्ड) लगाया जायेगा जिसमें लाइसेन्स का प्रकार और उसके अधीन किये जाने वाले व्यापार का स्वरूप प्रदर्शित किया जायेगा ।

(ख) लाइसेन्सधारी अपनी स्प्रिट का सम्पूर्ण स्टाक उपर्युक्त भू-गृहादि में संग्रहीत करेगा । किसी भी समय कब्जे में रखी जाने वाली तथा एक मास या एक वर्ष अथवा लाइसेन्स जारी रहने तक की अवधि में प्रयोग में लायी जाने वाली स्प्रिट का परिमाण निम्नलिखित परिमाण से अधिक न होगा :

स्प्रिट का प्रकार	वह परिमाण जो किसी समय कब्जे में रखा जा सकता है	वह परिमाण जो ... के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है
	एक मास में	एक वर्ष अथवा लाइसेन्स जारी रहने की अवधि तक

(ग) लाइसेन्सधारी को छेव पालिश के निर्माण में स्प्रिट के प्रयोग की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि वह उसमें 25 प्रतिशत से अन्यून अथवा जैसा समय-समय पर आबकारी आयुक्त विहित करें, चपड़ा अथवा रेजिन न मिला हो ।

(घ) लाइसेन्सधारी स्प्रिट की दैनिक प्राप्ति तथा उपयोग का सही लेखा आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित प्रपत्र में रखेगा ।

(ङ) प्रपत्र वि० प० 41 में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के पूर्व लाइसेंसधारी तैयार वस्तु में अल्कोहल का प्रतिशत विशेष रूप से उल्लिखित करते हुए, प्रत्येक निर्माणाधीन मद जिसके लिए अल्कोहल की आवश्यकता हो, की संरचना घोषित करेगा । यदि तैयार वस्तु में अल्कोहल की घोषित मात्रा में दो प्रतिशत से अधिक भिन्नता पायी जाय तो इसे लाइसेंस की एक शर्त का उल्लंघन माना जायगा ।

6--विकृत स्प्रिट का मांग पत्र--लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली विकृत स्प्रिट की पूर्ति इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ध-1 के मांग-पत्र द्वारा की जायेगी । मांग-पत्र छपे हुए प्रपत्र में तथा तीन प्रतियों में पुस्तिका में जिल्द बन्द होंगे और उन पर क्रमिक संख्या पड़ी होगी । जब कभी भी लाइसेंसधारी स्प्रिट की मांग करता है वह कारबन से मांग पत्र की तीन प्रतियां तैयार करेगा और उसकी मूल प्रति को प्रपत्र डी० एफ० एल० में निरंकपत्र के साथ आसवनी अथवा स्प्रिट के थोक या फुटकर विक्रेता को भेजेगा । मांग पत्र की द्वितीय प्रति सम्बद्ध सर्किल के निरीक्षक आबकारी निरीक्षक को भेजेगा । तथा तृतीय प्रति मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी पत्रावली के लिए रख ली जायेगी ।

विहित निरंकपत्र के साथ मांग पत्र प्राप्त होने पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अथवा थोक विक्रेता मांग पत्र की पूर्ति तब तक न करेगा जब तक कि वह निरंकपत्र के प्रत्येक स्तम्भ की प्रविष्टियां ठीक-ठीक तथा सुपाठ्य रूप से न कर ले और मांग पत्र में दी गई स्प्रिट के परिमाण का पृष्ठांकन न कर दे । यदि आसवनी अथवा थोक विक्रेता या लाइसेंस प्राप्त फुटकर विक्रेता मांग पत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में न हो तो वह मांग करने वाले व्यक्ति को तदनुसार सूचित कर देगा । संसूचना की एक प्रति उस सर्किल के निरीक्षक आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी जिस सर्किल के लिए मांग करने वाले लाइसेंसधारी का लाइसेंस हो ।

-एम० पी० पाण्डे,
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

वि० प०-39

ऐसे उद्योगों में जिसमें अल्कोहल नष्ट कर दिया जाता है अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उस उत्पाद में अल्कोहल ईथर, स्टाईरिन, ब्यूटाडाइन इत्यादि के रूप में नहीं होता, प्रयोग के लिए विशिष्टतया विकृत स्प्रिट कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस ।

श्री--------------(लाइसेंसधारी का नाम और पता) जिसे एतद्पश्चात् लाइसेंसधारी कहा गया है, को स्थान-------------- (भू-गृहादि के ब्योरे, उसकी चौहद्दी सहित, लिखें) में जिला-----------के ग्राम/नगर-------------में-------------को तैयार करने अथवा निर्माण करने के प्रयोजनार्थ 31, 19---------के वर्ष के दौरान---------लिटर विशिष्ट विकृत स्प्रिट, जिसे एतद्पश्चात् स्प्रिट कहा गया है, अपने कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा स्वीकृत तथा जारी किया जाता है जिनमें से किसी उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आबकारी/अफीम विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध लाइसेंसधारी को किन्हीं भी उन शास्तियों के अतिरिक्त जो उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित की जायं, उसका लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य बना देगी।

लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण:---

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नवीकरण का पृष्ठांकन---यह लाइसेंस एतत्पूर्व वर्णित शर्तों पर नीचे उल्लिखित अवधि के लिए, एतद्द्वारा नवीकृत किया जाता है।

अवधि------से------तक

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

वि० म०---40

ऐसे उद्योगों में, जिनमें अल्कोहल केवल विलायक (साल्वेन्ट) के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और ऐसे उत्पाद में अल्कोहल जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के लिए प्राप्त किया जाता है, नहीं होता है, यथा सैलूलोज, पेक्टिन इत्यादि

श्री--------------(लाइसेंसधारी का नाम और पता) जिसे एतद्पश्चात् लाइसेंसधारी कहा गया है, को स्थान-------------- (भू-गृहादि के ब्योरे, उसकी चौहद्दी सहित लिखें) में जिला--------------के ग्राम/नगर में--------------को तैयार करने अथवा निर्माण करने के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 19---------- वर्ष के दौरान------------------बल्क लिटर विशिष्टतया विकृत स्प्रिट, जिसे एतद्पश्चात् स्प्रिट कहा गया है, अपने कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस, उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा स्वीकृत तथा जारी किया जाता है, जिनमें से किसी उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आबकारी/अफीम/मादक भेषज विधियों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध लाइसेंसधारी को किन्हीं भी उन शास्तियों के अतिरिक्त जो उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित की जाय, उसका लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य बना देंगे।

लाइसेंस प्राप्त-भू-गृहादि का विवरण:---

आबकारी आयुक्त।

नवीकरण का पृष्ठांकन---यह लाइसेंस एतद्द्वारा वर्णित शर्तों पर नीचे उल्लिखित अवधि के लिये, एतद्द्वारा नवीकृत किया जाता है।

अवधि--------------से--------------तक

आबकारी आयुक्त।

वि० म०---41

ऐसे उद्योगों में प्रयोग के लिए जिनमें अल्कोहल विलायक (साल्वेन्ट) या वाहक (वेहिकिल) के रूप में अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है और अपने अंतिम उत्पाद में कुछ सीमा तक अलक्षारस (लेकर) वार्निश इत्यादि की तरह प्रतीत होता है।

श्री--------------(लाइसेंसधारी का नाम और पता) को जिला---------------में वार्निश तथा पेंट के निर्माण में प्रयोग करने के लिए 1 अप्रैल, 19-------- ---------से 31 मार्च, 19-------------तक की अवधि के दौरान-------------बल्क लीटर विकृत स्प्रिट, जिसके अन्तर्गत विशिष्टतया विकृत स्प्रिट भी है (जिसे एतद्पश्चात्, स्प्रिट कहा गया है), अपने कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा, स्वीकृत तथा जारी किया जाता है जिनमें से किसी उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आबकारी/अफीम/मादक भेषज विधियों के अधीन दोष सिद्ध लाइसेंसधारी को किन्हीं भी उन शास्तियों के अतिरिक्त जो उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित की जायं, उसका लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य बना देगी।

लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि का विवरण:---

आबकारी आयुक्त।

नवीकरण का पृष्ठांकन---यह लाइसेंस, एतत्पूर्व वर्णित शर्तों पर नीचे उल्लिखित अवधि के लिए, एतद्द्वारा नवीकृत किया जाता है।

अवधि------------------से--------------तक

आबकारी आयुक्त।

प्रपत्र-वि० म०-40-ख

वि० म० लाइसेंस के अधीन----------------------के निर्माण में विशिष्टतया विकृत स्प्रिट के संग्रहण तथा प्रयोग के लिये बन्ध-पत्र।

इस विलेख द्वारा सभी व्यक्तियों को यह विदित हो कि हम ------------------------------निवासी-------------------- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें एतद्पश्चात् राज्यपाल कहा गया है तथा जिस पदावली के अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती अथवा समनुदेशिती हैं) के प्रति संयुक्तः तथा पृथक्तः रु०-------------(रुपये------------------) के लिये दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं जिसे वस्तुतः और सही सही चुकाये जाने के लिये हम अपने को अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से तथा हममें से प्रत्येक दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने को अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से तथा हममें से प्रत्येक दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों को और हम में से प्रत्येक अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों को पृथक्तः इस विलेख द्वारा दृढ़तः से आबद्ध करते हैं।

दिनांक , 19

उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति जिसे एतद्पश्चात् निर्माता कहा गया है, को इस बन्ध-पत्र के निष्पादन के दिनांक से स्थान-------------- जिला--------------में ------------------------बनाने के लिये उत्पाद कर देय वस्तु जो प्रतिशत डिग्री से अधिक लन्दन प्रूफ मानानुसार शक्ति की स्प्रिट प्रयोग करेगा जिसमें कि ------------------ प्रतिशत स्प्रिट पहले से मिलाई जा चुकी है (जिस सम्मिश्रण को एतद्पश्चात् स्प्रिट कहा गया है) निम्नलिखित शर्तों पर तथा उनके अधीन रहते हुए संग्रह करने तथा प्रयोग करने की अनुज्ञा दी गई है---

(1) उपर्युक्त स्थान पर निर्माता के भू-गृहादि में संग्रहीत स्प्रिट का कुल परिमाण किसी भी समय ———— बल्क लिटर से अधिक न होगा ।

(2) किसी वर्ष में निर्माता द्वारा प्रयुक्त स्प्रिट का परिमाण ———— बल्क लिटर से अधिक न होगा ।

(3) स्प्रिट का प्रयोग केवल ———— के निर्माण में किया जायेगा (और किसी भी परिमाण में चाहे जो भी हो, बेची नहीं जायेगी) ।

(4) कलेक्टर की स्वीकृति के बिना कोई स्प्रिट निर्माता के भू-गृहादि से हटाई नहीं जायगी ।

(5) निर्माता स्प्रिट के संग्रहण की रीति के संबंध में कलेक्टर के निदेश का अनुपालन करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे [illegible] द्वारा प्राप्त करेगा ।

(6) स्प्रिट को शोधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जायेगा ।

(7) यथाविधि प्राधिकृत आबकारी अधिकारियों को निर्माता के भू-गृहादि में प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने की अनुमति दी जायगी ।

(8) निर्माता उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये स्वीकृत लाइसेन्स संख्या ———— दिनांक ———— में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा और तदनुसार कार्य करेगा तथा उनमें अथवा एतद्पूर्व उल्लिखित किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेन्स समपहृत हो जायगा ।

(9) लाइसेन्स के वापस न लिये जाने तक समस्त निर्मातागण तथा उनमें से प्रत्येक निर्माता एवं उसके तथा उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि उक्त लाइसेन्स की शर्तों से तथा एतद्पूर्व वर्णित शर्तों से अपने को आबद्ध करते हैं ।

इस बन्ध अथवा आभार की शर्त है कि यदि निर्मातागण एतद्पूर्व उल्लिखित शर्तों का पालन, अनुपालन एवं आपूरण करेंगे तो उपरिलिखित बंध अथवा आभार की शर्त शून्य हो जायेगी अन्यथा बंध पूर्णरूपेण प्रवृत्त एवं प्रभावी रहेगा ।

उपरिलिखित बंध में उल्लिखित आभार के तथा एतद्पूर्व उल्लिखित शर्तों के स्वीकरण के साक्ष्य में हम निर्माताओं ने इस पत्र पर दिनांक ————, 19 को हस्ताक्षर किया ।

हस्ताक्षरित, मुद्रित तथा संप्रदत्त,

दिनांक

साक्षी—

1————

2————

वि० म०—42

दिनांक	स्प्रिट का प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां - कहां से प्राप्त हुई	प्राप्तियां - परमिट संख्या और दिनांक	निर्माण	स्तम्भ 2 तथा स्तम्भ 5 का योग	जारी की गई या प्रयोग में ली गई स्प्रिट का परिमाण	स्प्रिट का अंतिम शेष	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ORDERS BY THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH

May 3, 1973

No. 953—In exercise of the powers [illegible] section 41 of the U. P. Excise [illegible] 1910 (Act no. IV of 1910), and in [illegible] of rule 20 of the Rules made [illegible] "D—Licences for wholesale and [illegible] of denatured spirit" published [illegible] Excise Commissioner's notification no. [illegible] IX—213-A, dated March 25, 1926, as [illegible] from time to time, the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, with the previous [illegible] of the State Government, makes the [illegible] rules relating to licences for the [illegible]

Rules

1. **Short title and commencement.**—(*i*) These rules may be called the U. P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

(iii) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context, "Specially denatured spirit" means spirit rendered unfit for human consumption in such manner as may be prescribed by the Excise Commissioner by notification in this behalf and does not include ordinary denatured spirit for general use.

2. Licences for the possession of denatured spirit including specially denatured spirit for industrial purposes shall be of three [illegible]

alcohol, such as Ether, Styrene, Butadiene, Acetone, Polythene, etc.

(ii) Form F. L. 40 for use in industries in which alcohol is used only as a solvent or processing agent and the product does not contain alcohol, which is generally recovered for reuse, such as Cellulose and its derivatives, Pectin, etc.

(iii) Form F. L. 41 for use in industries in which alcohol is used directly or alcohol is used as solvent or vehicle and appears in the final produce to some extent such as Lacquers, Varnishes, Polishes, Adhesives, Anti-freezers and Brake fluid, etc.

3. (a) The fee for a licence in Form F. L. 39 shall be at a rate prescribed for industry to industry by the Excise Commissioner per litre, payable on the quantity of specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh. The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge Distillery from the licensee before making issues of the specially denatured spirit from the distillery and shall be deposited in the Treasury under the head "X—State Excise Miscellaneous Confiscation and Miscellaneous (a) Contribution towards Establishment".

(b) The fee for a licence in Form F. L. 40 and F. L. 41 shall be as prescribed below for a year or part thereof, payable in advance before the issue of licence :

	Rs.
(i) Where the licence is for the possession of less than 5000 bulk litres of denatured spirit per annum.	100
(ii) Where the licence is for the possession of 5000 litres or more of denatured spirit per annum.	200

General conditions

4. The following general conditions shall be binding on all person holding licences for the possession of denatured spirit for industrial purposes :

(1) The licensee shall be bound to observe all rules under the U. P. Excise Act IV of 1910 applicable to his licence and the general and special conditions of his licence.

(2) The licensee shall, if required by the Excise Commissioner, before granting the licence, or at any time during the currency of his licence deposit with the Collector in cash or in Government Promissory Notes or National Savings Certificate such amount as may be prescribed by the Excise Commissioner as security for the due observance of the terms and conditions of the licence, case of non observance of the terms and condition of the licence, the security, so deposited may be forfeited to Government and licence cancelled in addition to other penalties that may be provided under the law after giving opportunity to the licensee to explain.

(3) The licence shall be deemed to have been granted or renewed personally to the licensee and it shall not be transferred or sub-let or sold without the previous permission of the Excise Commissioner.

(4) The licensee shall not change the permises in which he carries on his business under his licence except with the previous permission of the Excise Commissioner which fact should be noted on the licence by the Collector or any officer duly empowered by him and the Excise Commissioner informed.

(5) If the licensee desires to enter into partnership in regard to business covered by licence, he shall do so only after obtaining the previous sanction of the Excise Commissioner and his licence shall therefor be suitably amended. Where partnership is entered into, the partner as well as the original holder of the licence shall be bound by the conditions of that licence.

(6) If any partnership is dissolved, the factum of dissolution shall be communicated to the Excise Commissioner by all the partners of the dissolved partnership within three days.

(7) If the licensee becomes incapable of carrying on the business or dies or becomes insolvent or in the case of a firm, company or other association of persons, it is wound up, the Excise Commissioner may—

(i) either cancel the licence; or

(ii) continue it in the name of the legal representatives, if any of the licensee.

(8) If the licensee goes out of business he shall dispose of his stock of denatured spirit in such a manner as the Excise Commissioner may direct.

(9) The licensee shall not sell or part with as gift or otherwise any quantity of spirit obtained under the licence or utilise it for purpose other than stated in the licence.

(10) No spirit shall be removed from the licensed premises without the sanction in writing of the Collector of the District.

(11) Any attempt on the part of the licensee to render spirit fit for human consumption shall make him liable to cancellation of his licence in addition to the penalties that may be imposed under the U. P. Excise Act. If the spirit is insufficiently denatured, the inspecting officer may seize the spirit in question.

(12) Every bottle, jar, cask or other receptacle containing spirit received into and kept for storage in the licensed premises shall have affixed to it in conspicuous manner a label printed in red and containing skull and cross bones with a warning in Hindi and English. The design and style of the label shall be as approved by the Excise Commissioner.

(13) The licensee shall maintain the registers prescribed for the business carried on by him and on the expiry of his licence shall make them over to the District Excise Officer of his district under a valid receipt. The licensee shall submit all prescribed returns punctually and maintain the accounts of transactions from day to day in ink.

(14) The licensee shall at any time produce for inspection on demand his licence and accounts by an officer of the Excise Department not below the rank of an Inspector and shall allow the inspection of his licence, registers, permits or passes, total stock of spirit and finished products and premises by the said officer.

(15) The licensee shall maintain an inspection note book with the pages numbered consecutively and hand it over on demand to an officer of the Excise Department not below the rank of an Inspector. Any punishment or warning incurred by the licensee, without forfeiture or cancellation of his licence, shall be recorded in the book.

5. Special conditions.—Licence in Forms F. L. 39 F. L. 40 and F. L. 41 shall be subject to the special conditions noted below in addition to the conditions laid down in rule 4 *supra*.

(1) *Licence in Form F. L.* 39—:

(*a*) The spirit used shall contain denaturants approved by the State Government and the denaturants shall be in the proportion as may be prescribed by the State Government.

(*b*) Quantity of spirit allowed to be issued in any year shall not exceed.......... litres.

(*c*) The spirit shall be obtained from a distillery situated in Uttar Pradesh.

(*d*) The spirit shall be stored in guaged vats or other receptacles approved by the Excise Commissioner. All such vessels shall bear a distinctive serial number and their full capacities shall be distinctly and intelligibly marked over them.

(*e*) The spirit shall be stored in a separate room called spirit store.

The windows of the spirit store shall be fitted with malleable iron bars not less than ... inches in thickness ... meters apart and fixed in the brick work to a depth of at least 5 centimeters at each end. On the inside of each window there shall be securely fastened to the bars stout wirenetting the aperture which shall not exceed 2 centimeters in diameter. There shall be only one entrance to the spirit store, and one door to each of its compartments. All these doors shall be secured with excise ticket lock during the absence of the Excise Officer Incharge.

No addition or alterations shall be made in the spirit store premises or in respect of permanent fixtures therein without the previous orders of the Excise Commissioner. The spirit store shall be opened and closed only in the presence of the Excise Officer Incharge.

NOTE—The Excise Commissioner may exempt a licensee wholly or partly from the operations of this rule taking in to consideration the requirements of a particular industry.

(*f*) No spirit shall be taken away from the premises by any person other than a duly authorised Excise Officer.

(*g*) An application for every quantity of spirit required to be removed from the storage tanks must be made in writing to the Excise Officer Incharge who shall record the quantity issued day-to-day in a prescribed register.

(*h*) The licensee shall maintain an up-to-date account of the specially denatured spirit received from the distillery stored in storage tanks, used in the manufacture and the balance left in stock at the end of the day in the form F. L. 42 and manner prescribed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

(*i*) The licensee shall apply to the Excise Commissioner through the Collector of the District concerned, for the renewal of the licence at least one month before the date of expiry of the licence.

(*j*) The licensee shall be liable to pay a penalty at a rate equal to the prescribed rate of vend fee on denatured spirit per litre on storage wastage of denatured spirit exceeding 1.5% found on the last working day of every calendar month after verification of the stock by the Excise Inspector Incharge.

(*k*) The licensee shall pay fee at a rate prescribed by the State Government, per litre on the issues of the specially denatured spirit obtained from any distillery in Uttar Pradesh for the manufacture of a commodity.

(*l*) The fee shall be realised by the Excise Inspector Incharge of the Distillery before making issues of the specially denatured spirit ...

...rits including denatured spirit and medicated wines—(d) Vend fee for denatured spirit."

(n) The Excise Commissioner shall decide the strength of Excise personnel necessary for the supervision and his decision shall be binding on the licensee. The licensee will provide office with office furniture for the officer-in-charge and suitable quarter to the Excise staff to the satisfaction of the Excise Commissioner in the vicinity of the licensed premises. The licensee shall be bound to keep the quarters and their appurtenances in proper repair and not to interrupt or to annoy any officer residing therein, in his use or enjoyment thereof. In case any question should arise as to the sufficiency of the accommodation, the question shall be referred to the Excise Commissioner whose decision shall be final and binding on the licensee.

(o) The licensee shall furnish to the Excise Officer Incharge a list containing the names of the manager and other employees employed by him and of all other employees whose duties require them to enter the spirit store. He shall promptly inform the Excise Inspector concerned of any changes which he may choose to make in the list from time to time.

(p) The licensee shall provide himself with the following registers in duplicate :

(a) Register for indent for alcohol.

(b) Register of transactions in the spirit store showing the receipt of expenditure of spirit.

(c) Register of operations in the manufactory showing the manufacture of each of the commodities, the total quantity of commodities produced and the spirit content per litre, if any.

(d) All registers and forms which the Excise Commissioner may prescribe shall be printed and supplied by licensee free of charge to the concerned Excise Inspector to supervise the operation.

(e) He shall maintain daily accounts of transactions in the manufactory.

(2) *Licence in Form F. L. 40*—

(a) The spirit used shall contain denaturants approved for the industry by the State Government. It shall be obtained for a distillery situate in Uttar Pradesh only.

(b) The total quantity of spirit stored in the licensed premises shall not exceed at any one time———bulk litres.

(c) The quantity allowed to be used in any one year shall not exceed———bulk litres.

(d) The entire produce of one operation or recovery of spirit shall be collected in the receiver and the whole of the recovered spirit shall be used in the next succeeding preparation and no attempt shall be made to collect the recovered spirit in separate portions for fractions.

(e) The spirit vapour pipe from the evaporator shall be securely attached to the condenser and the recovered spirit shall pass through a close main pipe soldered or revetted to the condenser and the cover of the receiver respectively and extended nearly to the bottom of the receiver.

(f) Any spirit sampling pipe shall not have an orifice exceeding one-eighth of centimeter in diameter.

(g) The lid and the discharge cock of the receiver shall be secured by locks, which are to be kept fastened while spirits are running into the vessel and at all other times when any spirit remains therein.

(h) Officers of the Excise Department not below the rank of an Inspector shall be allowed to take samples of the spirit and of materials which contain any spirit.

(i) All specially denatured spirit received shall either be added to the materials used in the industry in the presence of the manager or other responsible person authorised by the licensee or be stored in a vat marked "specially denatured spirit". The lid and the discharge cock of the vat shall be secured by fastenings and locks and spirit must only be removed from them under the supervision of the Manager or other responsible person so authorised

after it has been entered in the account book.

(j) No spirit shall be taken away from the premises by any person other than a duly authorised officer of the Excise Department.

(k) The keys of all vessels ordered to be locked shall be kept on the premises in charge of the Manager or other responsible person authorised by the licensee and any such vessel must be immediately unlocked at the requisition of an officer of the Excise Department not below the rank of an Inspector.

(l) Particulars of the quantity and strength of every consignment of specially denatured spirit must be entered in a book on the day of receipt. All transactions shall be correctly entered from day to day in the same book and a correct balance struck after each day's withdrawals from stock. The book shall be accessible to the Officers of the Excise Department not below the rank of an Inspector who visits the premises and every pass which accompanied the spirit received shall be retained and delivered to the Officer who next visits the premises.

(m) The licensee shall execute a bond in form F. L. 40-B for such amount as may be fixed by the Excise Commissioner for the privilege of storage and use of specially denatured spirit (and the observance of the conditions of this licence and the rules contained in the Excise Manual).

(3) *A licence in Form F. L. 41*—

(a) A signboard shall be affixed to the licensed premises showing the kind of licence and the hours of business under it.

(b) The licensee shall store all his stocks of spirit on the aforesaid premises. The quantity of spirit possessed at any one time and the quantity used in the manufacture in a month or in a year or during the period the licence is current shall not exceed the following limits:

Kind of spirit	Quantity that may be possessed at one time	Quantity that may be used for manufacture of		
		In a month	In a year	or period of the currency of the licence

(c) The licensee is not allowed to use spirit in manufacture of French Polish unless he adds to it shellac or resin or both in quantity not less than 25 per cent or as may be prescribed by the Excise Commissioner from time to time.

(d) The licensee shall maintain correct account of daily receipt and utilisation of spirit in the form as may be prescribed by the Excise Commissioner from time to time.

(e) The licensee shall declare the composition of every manufacturing item for which alcohol is needed specifically mentioning the percentage of alcohol in the finished product, before the grant of licence in Form F. L. 41. If more than two per cent variation is found in the declared content of alcohol in the sample of finished product, then it shall be treated as a breach of one of the conditions of the licence.

6. **Indent for denatured spirit.**—Supplies of denatured spirit obtained by the licensee shall be on indents in Form D-1 appended to these rules. The indent shall be in printed forms bound in books in triplicate and numbered consecutively. Whenever a licensee indents for spirit he shall prepare indent in triplicate using carbon paper, send the original of the indent with the fly leaf in Form D. F. L. of the licence concerned to the distillery or to the wholesale vendor or to retail dealer of denatured spirit. The duplicate of the indent shall be sent to the Preventative Excise Inspector of the circle concerned and the triplicate retained by the Indentor for his file.

On receipt of the indent along with the prescribed Fly Leaf, the Officer Incharge of the Distillery or the wholesale dealer shall not honour the indent unless he has made accurate entries in a very legible way, in each column of the Fly Leaf and endorse the quantity of denatured spirit supplied on the indent. If the distillery or the wholesaler or retail licensed vendor is not in a position to meet the requirements of the indent, he shall inform the indentor accordingly. A copy of the communication shall be sent to the Preventive Excise Inspector of the circle in which indenting licensee holds licence.

(ILLEGIBLE),
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

F. L. 39

Licence for possession of specially denatured spirit for use in industries in which alcohol is destroyed or converted chemically in the process into other product and the product does not contain alcohol such as Ether, Styrene, Butadiene etc.

Licence is hereby granted and issued to....
....
(Name and address of the licensee) (hereinafter referred to as the licensee) at................ (enter details of the premises with boundaries thereof) in the village/town of................ district................to possess............ litres of specially denatured spirit (hereinafter referred to as spirit) for use in the preparation or manufacture of............during the year ending March 31, 19...... subject to the provisions of the U. P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976, the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Excise/Opium laws render the licensee liable to cancellation of the licence in addition to any penalties imposed under the above laws.

Description of the licensed premises

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

ENDORSEMENT OF RENEWAL

This licence is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:

Period................to................

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

F. L. 40

Licence for possession of specially denatured spirit for use in industries in which alcohol is used only as a solvent or processing agent and the product does not contain alcohol, which is generally recovered for re-use, such as Cellulose, Pectine, etc.

Licence is hereby granted and issued to...... (Name and address of the licensee) hereinafter referred to as the licensee at................ (enter details of the premises with boundaries thereof) in the village/town of.............. district..............to possess.............. bulk litres of specially denatured spirit (hereinafter referred to as spirit (for use in the preparation or manufacture of..........during the year ending March 31, 19..........subject to the provisions of the U. P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit Rules, 1976 the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Excise/Opium/Dangerous Drugs law render the licensee liable to cancellation of the licence in addition to any penalties imposed under the above laws:

Description of the licensed premises

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

ENDORSEMENT FOR RENEWAL

This licence is hereby renewed on the conditions hereinbefore stated for the period stated below:

Period..............to....................

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

F. L. 41

Licence for possession of denatured spirit including specially denatured spirit for use in industries in which alcohol is used as solvent or vehicle directly and appears to some extent in the final product, such as lacquers, varnishes, etc.

Licence is hereby granted and issued to.... ....(Name and address of the licensee) to possess......................bulk litres of denatured spirit including specially denatured spirit (hereinafter referred to as spirit) in the manufacture of Varnish and Paints............ district.................during the period from April 1, 19........to March 31, 19.......... subject to the provisions of the U. P. Licences for the Possession of Denatured Spirit and Specially Denatured Spirit for Industrial Purposes Rules, 1976 infraction of any of which or a conviction for any offence under the Excise/Opium/Dangerous Drugs laws render the licensee liable to cancellation of the licence in addition to any penalties imposed under the above laws:

Description of the licensed premises

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.